न्यायालय जिला कलक्टर, बेमेतरा - निगरानी

उनवान: - हरेश कुमार बनाम सरकार

पेश तारीख: - 12/13/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31/12/2026	आज निगरानी पत्रावली पेश हुई। वकील जावेद उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय में रिपोर्ट तलब होकर आज पेश हुई। मौके पर मौजूद न्यायालय द्वारा जब्त हुआ वाहन से मुचलके लिये जाने हेतु पाबंदी प्रदान की गयी है। यदि प्रार्थी 5 लाख रुपये की जमानत। मुचलके पेश नहीं करता है, तो सर्वप्रथम मुचलकर्ता से मुचलके जब्त हुआ वाहन के विक्रय पश्चात आदेशित लिये जाने तक अस्थायी प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बिलासपुर द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र 02577253 दिनांक 7/5/2026 चौराहा पुल श्रीसिंह निवासी नौरंगोकड़ तहसील बेमेतरा की प्रति पेश की है। प्रार्थी के पक्ष में पेश की गयी तहसीलदार की प्रमाणपत्र की जाती है। प्रकरण में जब्त हुआ वाहन RJ 32 GD 0063 किसी अन्य प्रकरण में दाखिल न होने की स्थिति में विक्रय योग्य पाये जाने पर मुचलकर्ता को मुचलके से छोड़ा जाये। मुचलकर्ता उक्त वाहन को बेचान नहीं करेगा। जब्त की उक्त वाहन की न्यायालय से आवश्यकता होगी मुचलकर्ता अपने खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। चूंकि प्रकरण में जब्त हुआ वाहन मुचलकर्ता को विक्रय का हुआ है। अन्य प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली में केवल कुमार की नकल की फर्द जब्त जब्तशुदा दाखिल फर्द रिकार्ड की।	

हरेश कुमार

चौराहा

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
बेमेतरा छत्तीसगढ़